

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

~~कन्हैयालाल~~ बनाम

श्री श्री

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

182/2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

06/05/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज

रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती

कन्हैयालाल - अज्ञानलाल - मुकेश

सत्यनारायण पिता हरिराम जी खाकड़

पिता श्री

निवासी-

सेमलपुरा

वस्ती

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

सेमलपुरा (तह. वस्ती)

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर

खाता सं. 634 में

बर्लित आराजीगत कीता 8 कुल रकबा 1.48 हे तथा खाता संख्या

633 में बर्लित आराजीगत कीता 5 कुल रकबा 2.49 हे

कुल कीता 8+5=13 कुल रकबा 3.9700 है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

सेमलपुरा (तह. वस्ती)

अतः प्रार्थी की ग्राम

स्थित खातेदारी की भूमि आराजी

नम्बर

खाता सं. 634 में बर्लित आराजीगत कीता 8 कुल

रकबा 1.48 हे तथा खाता संख्या 633 में बर्लित आराजीगत

कीता 5 कुल रकबा 2.49 हे

कुल कीता 8+5=13 रकबा 3.9700 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का

खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 2000/- रुपये अक्षरों दो हजार रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर

पेश हो।

(वीनू देवल)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)